


प. सं. ३३/२०२३
दुर्गा साहू वगैरे किसानों के नाम
दिनांक ३३/२०२३

10/3/2025

प्राथमिकी माफ़ के लिए इन्हीं की वकील के नाम पर
किसानों की वकील के नाम पर
विद्या का अर्चना पर किया। वकील के उक्तित्व के
कारण जिस कि प्रकरण में लोक माला की अर्चना
से सम्बन्धित होने से बाद फल के साथ ही प्रकरण
तत्काल पर विद्यमान होने के कारण किया।

इस वकील द्वारा बाद फल अर्चना होने से
विद्या किने जाने का अर्चना फल के लिये किया किन्तु
जो बाद फल अर्चना किया जाता है बाद फल के
सम्बन्धित मामलों किने-चारा अर्चना के मूल वगैरे
के निर्णय तक ल्याई किना ठाका पाके भी अर्चना
पर अर्चना होने से अर्चना किया जाता है प्राथमिकी
के लिये हुआ (दोष प्रमाण दफ्तरी)


उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज०

शिकायत के लिये
(क) प्रमाण-पत्र